दुर्घटनाओं से प्रति वर्ष लगभग 14000 मौतें होती है और इससे अधिक लोग घायल होते हैं।

10 सांप ही एक ऐसा जीव है जो चूहों के बिल में घुसकर उन्हें खा जाता है। चूहे हमारे देश के 20–25 प्रतिशत अनाज को खा जाते हैं।

11 जैव विविधता के क्षेत्र में हमारे देश का नम्बर छठा है। इस क्षेत्र में हम काफी समृद्ध है।

कुछ ध्यान देने योग्य बातें

- वन्य जीवों का शिकार कैमरे से करें, बंदूक से नहीं।
- वन्य जीवों से प्रेम करें।
- वन्य जीवों की जीवन चर्चा का अध्ययन करें तथा यह जानने का यत्न करें कि ये समाज व राष्ट्र के लिए कितने लाभकारी हैं।
- धरती पर पैदा होने वाले सभी जीवों को जीने का हक है। अतः स्वयं सुख से जियें तथा अन्य जीवों को भी जीनें दें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकुला।
वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला–134109
दूरभाष / फैक्सः 0172–2561224

मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), पंचकुला
वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला–134109
दूरभाष / फैक्सः 0172–2587222

मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरूग्राम
फोरेस्ट कम्पलैक्स, सोहना रोड, गुरूग्राम।
दूरभाष 0124–2300881

उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पंचकुला
टी प्वाईंट, मोरनी मार्ग, पंचकुला
दूरभाष 01733–255000

मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, हिसार
नज़दीक मिल गेट, हिसार
दूरभाषः 01662–259233

मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम
नज़दीक राजीव चौक, गुरूग्राम
दूरभाषः 0124–2222272

मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी,रोहतक
मकान नं. 69, चाणक्यपुरी,
नज़दीक रेलवे क्रासिंग, रोहतक
दूरभाषः 01262–274377

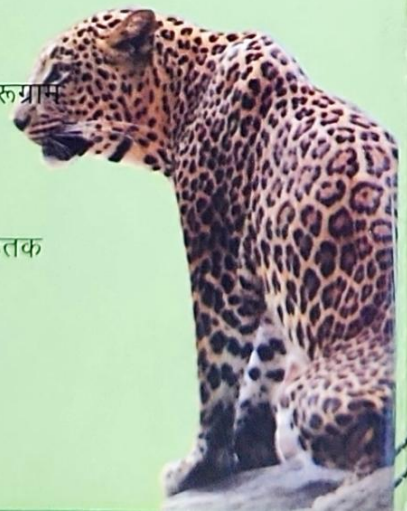

हरियाणा राज्य में वन्य जीवन

वन एवं वन्य जीव विभाग हरियाणा

सफेद पीठ गिद्ध, लम्बी चोंच गिद्ध और पतली चोंच गिद्ध हैं। इस केन्द्र में प्रजनित गिद्धों को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा नवंबर 2015 को सॉफ्ट रिलीज संपन्न हुई। तदोपरांत 20 अक्तूबर 2020 को माननीय वन मंत्री श्री कंवर पाल जी ने 8 गिद्ध उनके प्राकृतिक आवास में छोड़े।

रामसर साईटस का तगमा पा हरियाणा की दो नमभूमियों को मिली अंतराष्ट्रीय ख्याति

अगस्त 2021 में हरियाणा की दो नमभूमियां सुल्तानपुर व भिंडावास बेहतर प्रबंधन एवं दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति के चलते अंतराष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों की श्रेणी मे अपना नाम दर्ज करवा गई हैं। इस बात का वर्णन करना उचित है कि सुल्तानपुर व भिंडावास के विदेशों से आने वाले मेहमान परिंदे 'फलाईवेज' के रूप मे इस्तेमाल करते हैं। सुल्तानपुर में सारस क्रेन का प्रजनन होता है तो उधर भिंडावास मे पट्ट शीर्श राजहंस (Bar headed goose) काफी संख्या में आता है।

25 वर्षों बाद मेहमान परिंदो के स्वागत के लिये तैयार छिलछिला वन्य जीव विहार

छिलछिला वन्य जीव विहार में एक लंबे अरसे बाद लोगों के सहयोग से एक बार फिर से विदेशी मेहमान परिंदों के स्वागत के लिये तैयार है। दरअसल लोगों के सहयोग से छिलछिला की जल धारण क्षेत्र में वासस्थल सुधार के कार्य किये। इस स्थल में पानी जमा हो गया है। मेहमान परिंदों के लिये मछली भी डाली गई हैं तथा मेहमान परिंदों के स्वागत के लिये पूरी तरह से तैयार है।

वन्य जीवों को गोद लेने की योजना

वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा सरकार ने 7 जनवरी, 2011 से वन्य जीवों को गोद लेने की एक अनूठी योजना शुरू की है। आप राज्य के चिड़ियाघरों और हिरण पार्क में अपनी इच्छानुसार वन्य जीवों व पक्षियों को गोद ले कर वन्य जीव संरक्षण में बहूमूल्य योगदान दे सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने अनुमोदित की देश की पहली जोनल मास्टर प्लान

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जोनल मास्टर प्लान अनुमोदित कर हरियाणा बना भारत का प्रथम राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के परिवेश संवेदनशल क्षेत्र के भीतर विकास व पर्यावरण में बेहतर रिश्ता कायम करने हेतु प्रत्येक पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की संबोधित सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान यानी क्षेत्री मास्टर योजना अनुमोदित करनी है।

हाल ही में हरियाणा सरकार ने 18.06.2021 को सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जोनल मास्टर अनुमोदित बारे अधिसूचना जारी कर दी है ताकि पर्यावरण भी बचे और विकास भी हो। ऐसा करने वाला हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

चिंकारा एवं मोर प्रजन्न केन्द्र, झाबुआ, जिला रेवाड़ी

लुप्त होने की स्थिति पर पहुंचे चिंकारा एवं मोरों की संख्या को बढ़ाने हेतु चिंकारा एवं मोर प्रजनन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र में मोर और चिंकारा का प्रजनन कर उन्हें उनके वासस्थल में छोड़ा जाएगा। इस समय इस केन्द्र में 58 चिंकारा व 87 मोर है।

राष्ट्रीय तथा राज्य पशु/पक्षी/वृक्ष

- शेर (टाईगर) हमारा राष्ट्रीय पशु है।
- मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
- काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है।
- काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है।
- पीपल हमारा राष्ट्रीय और राज्य वृक्ष है।

क्या आप जानते हैं ?

1 चूहों का एक जोड़ा यदि उस पर सांप उल्लू, चील, बिल्ली तथा अन्य भक्षक जीव–जन्तुओं का अंकुश न हो, एक वर्ष में 880 चूहे तथा पांच वर्शों में एक करोड़ चूहे बना देगा।

2 सामान्यतः एक उल्लू हर रात एक या दो चूहे खाता है।

3 कोलरैडो बीटल नाम कीट का एक जोड़ा, यदि उसे खाने वाले पक्षी तथा अन्य भक्षक न हों तो एक ऋतु में 6 करोड़ कीट पैदा कर सकता है।

4 पक्षियों के नवज़ात बच्चे प्रतिदिन अपने भार से अधिक नरम कीड़े–मकोड़े खाते हैं।

5 संसार में पक्षियों की लगभग 8600 और हमारे देश में 1260 प्रजातियों पाई जाती हैं।

6 केवल भारत में कीटों की 30 हजार किस्में पाई जाती हैं

7 कीटों की कई सुंडियां 24 घंटों में अपने भार से दो सौ गुणा भोजन खा जाती है।

8 तिलियर पक्षी का एक जोड़ा अपने बच्चों के लिए दिन में लगभग 370 बार भोजन (सुंडियां तथा टिड्डे) लाते देखा गया है।

9 सांप को देखते ही लोग इसके पीछे लग जाते हैं और मार कर ही दम लेते हैं परन्तु याद रखें कि सांप के काटने से मरने वालों की संख्या कुल मृत्यु दर का केवल 0.001 प्रतिशत है। भारत में सड़क

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले वन्य जीव
1. कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00	तेंदुआ, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, चीतल, मोर एमीराल्ड डव तथा ओरियंटल, पाईड हॉनबिल।
2. सुल्तानपुर	गुरुग्राम	05.07.1991	352.17	स्थानीय पक्षी तथा प्रवासी जल पक्षी, बतखें, बगुले, स्टार्क्स, सारस क्रेन, फलैमिंगो, लाल मुनिया, जंगली बिल्ली व गीदड़

वन्य-जीव विहार

वन्य-प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले वन्य जीव
1. भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
2. छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
3. नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25	काला हिरण, नील गाय, काला तथा भूरा तीतर आदि
4. बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00	तेन्दुआ, चीतल, जंगली सुअर व जंगली मुर्गा आदि
5. खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
6. कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00	तेन्दुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
		13.01.2000	222.65	
7. खोल-हाय-रायतन	पंचकूला	10.12.2004 07.09.2007	5501.88 6563.91	तेन्दुआ, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि

संरक्षण रिजर्व

संरक्षण आरक्षित का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले वन्य जीव
1. सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00	काला हिरण, पाड़ा, हिरण, बंदर व जंगली सुअर आदि
2. बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00	नील गाय, बन्दर तथा खरगोश आदि

सामुदायिक रिजर्व

वन्य-प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले वन्य जीव
1. गोल्डन जुबली ब्रहम सरोवर सामुदायिक आरक्षः	कुरूक्षेत्र	19.07.2017	89.368	बाबर, बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
2. अबूबशहर सामुदायिक आरक्षः	सिरसा	14.03.2018	28492	काला हिरण, मोर आदि
3. गुरू गोरखनाथ सामुदायिक आरक्षः	फतेहाबाद	27.05.2019	7.91	–सम–
4. शहिद अमृता देवी मैमोरियल सामुदायिक आरक्षः	फतेहाबाद	27.05.2019	24.14	–सम–
5. सिरी गुरू जम्भेश्वर सामुदायिक आरक्षः	फतेहाबाद	27.05.2019	12.157	–सम–

लघु चिड़ियाघर

चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले वन्य जीव
1. पिपली	कुरूक्षेत्र	1985–86	8	बब्बर शेर, गीदड़, गिद्ध, खरगोश, तेंदुआ, घड़ियाल व पक्षी आदि
2. रोहतक	रोहतक	1985–86	14	शेर, तेन्दुआ, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, शुतुर्मुर्ग, घड़ियाल व पक्षी आदि
3. भिवानी	भिवानी	1982–83	51	दरियाई घोड़ा, तेन्दुआ, भालू, चीतल, साम्भर, चिंकारा, बन्दर, खरगोश, मगरमच्छ व पक्षी आदि

हिरण पार्क

हिरण पार्क का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य जीव
1. धांसू	हिसार	1985	42	काला हिरण, नील गाय व चीतल आदि

प्रजनन केन्द्र

प्रजनन केन्द्र का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य जीव
1. चिंकारा कैरू	भिवानी	1985–86	128.44	चिंकारा
2. मगरमच्छ भौर सैयदां	कुरूक्षेत्र	1981–82	16.00	मगरमच्छ
3. फीजैंट प्रजनन केन्द्र मोरनी	पंचकुला	1991–92	2.50	कलीज मुर्गा
4. गिद्ध प्रजनन केन्द्र, पिंजौर	पचकुला	2001	5.00	गिद्ध
5. मोर व चिंकारा प्रजनन केन्द्र झाबुआ	रेवाड़ी	2011	80.00	मोर व चिंकारा
6. फीजैंट प्रजनन केन्द्र बेरवाला	पंचकुला	2006	1.00	लाल जंगली मुर्गा

जटायु संरक्षण प्रजनन केन्द्र पिंजौर

पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में गिद्धों का बड़ा भारी योगदान है। वे मेरे मवेशियों को खा कर पर्यावरण में दुर्गंध और बीमारी फैलने से बचाते हैं। गिद्धों की कम होती संख्या को बढ़ाने हेतु हरियाणा के पंचकुला जिले में बीड़ शिकारगाह में वर्ष 2001 से जटायु संरक्षण प्रजनन केन्द्र कार्य कर रहा है।

इस प्रजनन केन्द्र में किये गये शोध से पता चला है कि गिद्धों के मरने का मुख्य कारण डिक्लोफिनैक नामक दवा है जो कि बीमार पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाती है और यदि यह पशु मर जाता है और गिद्ध उसे खाती है तो इससे गिद्ध के गुर्दे फेल हो जाते हैं और वह मर जाती है। यह दवा अब पशुओं के लिये प्रतिबंधित है। इसके विकल्प के रूप में टोलफिनैमिक एसिड नामक दवा का परीक्षण सफल रहा। अब इसको लोकप्रिय बनाने की जरूरत है।

आज जटायु संरक्षण प्रजनन केन्द्र में 378 गिद्ध हैं जो कि

हरियाणा में वन्य जीवन संरक्षण

इतिहास के आईने में हरियाणा के वन्य जीवन

वन्य जीव और भारतीय संस्कृति में एक अटूट रिश्ता है। वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे जहां प्रकृति के सौन्दर्य में वृद्धि होती है, वहीं ये कई वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार भी हैं।

देश के उत्तरी छोर में स्थित हरियाणा भारत के मैदानी क्षेत्र का मुख्य भाग है। इतिहास गवाह है कि कभी मृगों के बड़े–बड़े झुंड यहां स्वच्छंद विचरते थे। यहां झाड़ीदार तथा गांव की हरी भरी बणियां वन्य जीवों के लिए उपलब्ध थी। खेती–बाड़ी कहीं कहीं और वह भी बहुत कम होती थी। अधिकतर लोग वन्य जीव प्रेमी तथा शाकाहारी विचारों के थे।

'अहिंसा परेमो धर्मा एवं जियो और जीने दो' उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सन् 1927 तक सिंह जिसे 'बब्बर शेर' भी कहते हैं, हरियाणा में अपनी खूब उपस्थिति दर्ज करवाता था। धारीदार शेर (जिसे बाघ भी कहते हैं) बहुतायत में थे। कहते हैं कि सन् 1954 तक भी यमुनानगर के कलसिया–कलेसर के जंगलों शेर रहते थे। हिसार बीड़ में पाई जाने वाली काले हिरणों की 'लखी डार' (लाखों का झुंड) तो इतनी प्रसिद्ध था कि भुलाई नहीं जा सकती।

आज भी प्रकृति प्रेमियों लोगों की रूचि, जनसाधारण मे जागृति तथा कड़े सुरक्षा प्रबन्धों के चलते हमारे वनों में चीतल, कक्कड़, वन बकरी, चीता, रोझ (नील गाय), लाल जंगली मुर्गा, मैदानों में काले हिरण, चिंकारा, काला व भूरा तीतर, मोर तथा भांति–भांति के मनोहारी पक्षी पाये जाते हैं।

वन्य जीवन अधिनियम

हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 12 मार्च 1972, से वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया गया। इस अधिनियम में हुए संशोधन से राज्यभर में 2 सितम्बर 1991 से शिकार पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लागू हुआ। शिकारियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए क्षेत्रीय स्टाफ को जीपें एवं मोटर साईकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। ताज़ेवाला (जिला यमुनानगर) तथा बेरवाला (जिला पंचकुला) में विशेश चैक पोस्टें स्थापित की गई हैं। इस प्रकार शिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है और वन्य जीवों संबंधी अपरोधों मे लगातार कमी हुई है। उधर संचार प्रक्रिया में सुधार तथा गश्त से भी वन्य जीवन अपराध रोकने में सहायता मिली है।

वन्य जीव केन्द्रों का रख–रखाव

वन एवं वन्य जीव विभाग की वन्य जीव शाखा की गतिविधियों का मूलतः संबंध राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी विहारों, संरक्षण रिजर्व तथा सामुदायिक रिजर्व से है। चिड़ियाघरों एवं प्रजनन केन्द्रों के बेहतर रख–रखाव, वन्य जीवों को बेहतर जीवन प्रदान करने व सुरक्षित क्षेत्रों में वासस्थल सुधार के कार्य करने से है।

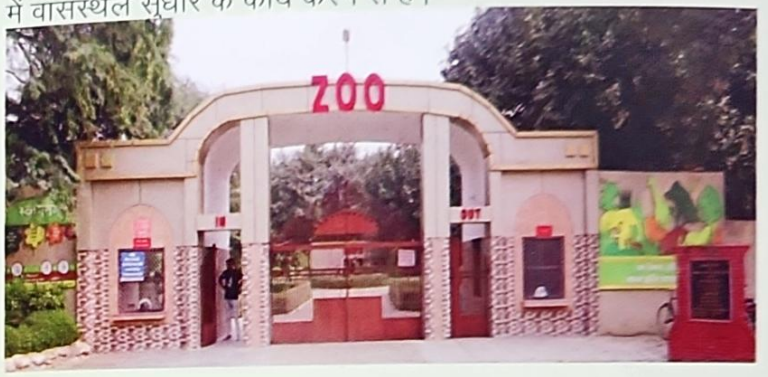

जन जागृति के प्रयास

जन जागृति वन एवं वन्य जीव विभाग की कई गतिविधियों में से एक है। जन साधारण में प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने में वन्य जीवों की भूमिका के संबंध में जागृति लाना है। इसे पूर्ण करने के लिए राज्य भर में विभित्र उत्सवों पर नेचर ऐज्यूकेशन कैम्प, फिल्म शो, चित्रकला तथा वन्य जीवन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी तरह साईन बोर्ड लगाकर भी जन जागरूकता पैदा के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में जनता का ध्यान वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति उनकी जिम्मेदारी की ओर आकर्षित करने के लिए वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है।

राज्य वन्य जीव बोर्ड

राज्य में वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, वन क्षेत्र घोषित करने तथा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी नीति निर्धारित करने मे राज्य सरकार के सहयोग के लिए वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है।

संरक्षित क्षेत्र

वन्य जीवों की सुरक्षा तथा संवर्धन और लुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने में संरक्षित क्षेत्रों का विशेष स्थान है। यहां वन्य जीव बिना किसी भय के प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं। इस समय हरियाणा राज्य में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र हैं।